


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्न प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक (सर्व श्री/श्रीमती)	विषय	वर्तमान पदस्थापित स्थान (राउमावि)	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जिला
1	रामजीवन गुर्जर	हिन्दी	भूगंडा, धाटोल-बासवाडा	BANSWARA	रोल चन्दावता, मेडतासिटी	NAGAUR
2	शिवराज प्रजापत	हिन्दी	मांगेरिया, भोपालगढ-जोधपुर	JODHPUR	अकला, खिवसर	NAGAUR
3	जितेन्द्र रतनू	हिन्दी	अकला, खिवसर	NAGAUR	चावण्डिया, खिवसर	NAGAUR
4	सरला जाखड	इतिहास	भोपालगढ-जोधपुर	JODHPUR	रोल चन्दावता, मेडतासिटी	NAGAUR

क्र.सं. 03 को यात्रा भत्ता एवं योग काल देय होगा। संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति शाला दर्पण के माध्यम से कर सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करावें। यदि कार्मिक प्राणीण स्वैच्छया शिक्षा सेवा (RVRES) का व्याख्याता है तो शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावे। परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिक को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-8/पदस्थापन-स्था./2019

दिनांक-16.09.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान- जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग कार्यालय
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/जि.शि.अ. (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
- 5 अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
- 6 संबंधित संस्था प्रधान कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण का शाला दर्पण पर उसी दिवस को अपडेट करें।
- 7 संबंधित कार्मिक
- 8 निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्रस	नाम कार्मिक	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	PREM SUKH	POLITICAL SCIENCE	GSSS (KRISHAN NAGAR) DULANGI NADI-LOHAWAT	JODHPUR	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOMASAR (NAGAUR), KHINWSAR (08141201607)(KHINVSAR)	NAGA UR
2	SITA RAM KHOJA	POLITICAL SCIENCE	GSSS DHOLAGIR KHEDA-DHARIAWAD(ST)	UDAIPUR	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL LALAWAS, KHINWSAR (08141206205)(KHINVSAR)	NAGA UR
3	RAM NARAYAN	POLITICAL SCIENCE	GSSS TIROL-GOGUNDA (ST)	UDAIPUR	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAWANDIYA, KHINWSAR (08141202207)(KHINVSAR)	NAGA UR
4	MAHENDRA JAJRA	GEOGRAPHY	SMT. RATAN KUNWAR VIJAY SINGH RAO GSSS AIDANA- KUMBHALGARH	RAJSAMAND	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL DEHROO, KHINWSAR (08141202505)(KHINVSAR)	NAGA UR

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परिधीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलंबित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतिक्षा में कार्यमुक्त करें।



(नथमल डिडेल)

आई ए एस

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/रावि/स्थानान्तरण/2019

दिनांक:- 16-09-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
5. संबंधित शाला/संस्था को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
7. संबंधित कार्मिक।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)